बिहार विधान परिषद — दैनिक विवरणिका

संख्या- 11 — सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
वृहस्पतिवार, दिनांक 16.3.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.10 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि नियमानुसार आप जो कार्यस्थगन लाये हैं, प्रश्नकाल के बाद इस विषय को नियमानुसार उठा सकते हैं। इसलिए प्रश्नकाल के बाद इस विषय को उठाइएगा।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 98, 99, 100, 101, 102 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 103 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 104 से 109 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 99 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को आप सूची उपलब्ध करा दीजिए। इसपर माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दी।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-58, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 206 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या– 212 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 200, 215, 216, 219, 221 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 217, 218, 220 अनागत हुए।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना

तारांकित प्रश्न संख्या- 199 पर माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग करता है। माननीय समाज कल्याण मंत्री को उनके विभाग ने सूचना दी है कि लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के पास लंबित है तो उन्होंने बताया होगा, कितने दिन से लंबित है। समाज कल्याण विभाग के पास सीधे आंकड़ा नहीं आया होगा, वह तो सामान्य प्रशासन विभाग को बताना पड़ेगा। इतने दिनों तक लंबित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका मैक्सिमम डेट निर्धारित है। निर्धारित अवधि में अगर मामले का डिस्पोजल नहीं हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग को जांच का आदेश दिया जाएगा कि इतने दिनों से लंबित लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के पास क्यों है?

तारांकित प्रश्न संख्या- 210 पर माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह खंड 'ग' का उत्तर चाह रहे थे, तो कृपा करके उत्तर के खंड-ग के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसी का उत्तर यह है। इसपर माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने कहा कि संतुष्ट हैं, सर।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने की घोषणा होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने पुन: अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2,4,5,6 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(कार्यस्थगन के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर जोर-जोर से बोलने लगे जबकि माननीय सदस्य, श्री मंगल पाण्डेय अपने स्थान से बोलते रहे तथा माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी अपने स्थान पर बैठे रहे।)

माननीय मुख्यमंत्री का आसन से आग्रह

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने आसन से आग्रह करते हुए कहा कि माननीय उप सभापति महोदय, प्रश्न गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस संबंध में या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये, सरकार उत्तर देगी या इसपर आप एक विशेष चर्चा करा दीजिए ताकि पूरी स्थिति सदन के समक्ष रखी जा सके।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय नेता, विरोधी दल इसपर ध्यानाकर्षण दे दिया जाए, सरकार जवाब दे देगी। ध्यानाकर्षण में सरकार इसका उत्तर देगी।

3. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री राधाचरण साह
3. श्री रामचन्द्र भारती
4. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

4. आसन को सूचना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि आपने जो सूचना दी है, सरकार ने सूचना ग्रहण की।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री मो. जावेद इकबाल अंसारी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा द्वारा मो. अनसार आलम के स्थायी परमिट से संबंधित आवेदन को लंबित कर दिये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रिका राय ने वक्तव्य दिया।

   आसन का अनुरोध

   आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि माननीय मंत्री, मेरे संज्ञान में भी है कि इसमें और लोगों को दिया गया गया है सिर्फ एक आदमी के साथ भेदभाव

बरता गया है, ये गंभीर विषय है। इसपर माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चंद्रिका राय ने कहा कि इसमें 70 आपत्तियां दी गयी थीं, उसका निष्पादन करना आवश्यक होता है और इसका अविलंब निष्पादन करके इस कार्य का कराया जाएगा।

2. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा राज्य में कैंसर के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा अमर शहीद बैंकुठ शुक्ला के नाम पर गया कारा एवं अमर शहीद श्यामनंदन सिंह के नाम पर बक्सर कारा का नामांकन करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचना दी कि इसका उत्तर 20.3.2017 को सरकार देगी।

4. माननीय सदस्य, सर्वश्री दिलीप कुमार चौधरी, शिव प्रसन्न यादव, लाल बाबू प्रसाद एवं डा. रामवचन राय द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा विधानमंडल सहित सचिवालय के राजपत्रित श्रेणी के प्रशाखा पदाधिकारियों को उनके पद के अनुरूप आवास आवंटित नहीं किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 में सुधार के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय द्वारा सारण जिले में विद्युत आपूर्ति के संबंध में ध्यानाकर्षण पर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचना दी कि इसका उत्तर 20.3.2017 को सरकार देगी।

7. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता द्वारा खगड़िया जिले के श्री जावेद एकबाल, सहायक उर्दू अनुवाद की पुत्री सबा की चिकित्सा पर खर्च की राशि के भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचना दी कि इसका 20.3.2017 को सरकार उत्तर देगी।

6. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार के दिनांक 18 अगस्त, 2015 को आरा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए की गयी बजटीय घोषणा से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री संजीव कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी एवं केदारनाथ पाण्डेय के अनुदानित माध्यमिक, उच्च एवं डिग्री महाविद्यालयों को देय अनुदान की राशि की विमुक्ति एवं समान वेतन से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

7. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी, पर्यावरण एवं वन, समाज कल्याण विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री संजय प्रसाद
2. डा. दिलीप कुमार चौधरी
3. श्री सूरजनन्दन प्रसाद
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. श्री रजनीश कुमार
6. प्रो. नवल किशोर यादव
7. डा. रामवचन राय

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

9. आसन का आग्रह

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने निदेश देने की कृपा की कि शेष विभाग के माननीय मंत्रियों से आग्रह है कि उनका बजट भाषण अगर तैयार हो तो सदन के पटल पर रख दें।

तदुपरांत माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा ने सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखा।

10. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. नवल किशोर यादव
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. श्री सतीश कुमार
4. श्री संजय प्रसाद
5. श्री चन्देश्वर प्रसाद
6. श्री राधाचरण साह
7. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
8. श्री दिलीप राय
9. श्री सोने लाल मेहता
10. श्री रामचन्द्र भारती

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17.3.2017 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

16/3/2017

(सुषीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 340 (3) / वि.प. पटना, दिनांक16.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 16-3-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्